अतिआवश्यक–अवमानना प्रकरण

राजस्थान सरकार

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ1(81)पीएस/निकाशि/12/637 दिनांक 26/12/2012

प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
झालावाड़/बूंदी/कन्या महा0, भीलवाडा/कला महा0, अलवर/राजर्षि महा0, अलवर।

विषयः– न्यायालय द्वारा पारित निर्णयानुसार कार्यरत/सेवानिवृत पुस्तकालयाध्यक्षों को यू.जी.सी. वेतनमान एवं कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम का लाभ मय ब्याज दिये जाने के संबंध में।

संदर्भः– पत्र क्रमांक एफ1(81)पीएस/निकाशि/12/618 दिनांक 11.12.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा यू.जी.सी. वेतनमान के एरियर एवं कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम का लाभ दिये जाने के फलस्वरूप दिनांक 25.03.2008 तक की एरियर राशि पर दिनांक 26.03.2008 से भुगतान की दिनांक तक की अवधि पर 12 प्रतिशत की साधारण ब्याज की दर से गणना कर देय ब्याज राशि की वर्षवार गणना कर विस्तृत सूचना चाही गई थी, चुंकि विभागीय आदेश संख्या 510, 512 एवं 513 दिनांक 17.12.2012 द्वारा संबंधित पुस्तकालयाध्यक्षों/पी.टी.आई. के वरिष्ठ/चयनित वेतनमान संशोधित स्वीकृति आदेश जारी किये गये है।

अतः संशोधित आदेशों के अनुरूप एरियर राशि पर ब्याज की गणना कर सूचना तीन दिवस में आवश्यक रूप से इस कार्यालय की वेबसाईट jdadmn.cce@rajasthan.gov.in अथवा jdpers.cce@rajasthan.gov.in पर ई–मेल व फैक्स नम्बर 0141–2702247 पर फैक्स कर सूचित करें।

निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

क्रमांक एफ1(81)पीएस/निकाशि/12/ 637 दिनांक 26/12/2012

प्रतिलिपि :– श्री धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर – कृपया वेबसाईट पर अपलोड करें।

संयुक्त निदेशक
कालेज शिक्षा राजस्थान,
जयपुर